जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : जविप्रा/ओ 12/08/1306 दि 20/2/08

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 125वीं बैठक दिनांक 18.02.2008 में लिये गये निर्णय/सुझाव का विवरण।

	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
1	125.1	कार्यकारी समिति की 124 वीं बैठक दिनांक 18.01.2008 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से पुष्टि किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।		
2	125.2	रोहिणी नगर–प्रथम में भूखण्ड संख्या 450 के नियमितिकरण के संबध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से रोहिणी नगर–प्रथम में भूखण्ड संख्या 450 के नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन–11	
3	125.3	रोहिणी नगर–द्वितीय में विलम्ब से जमा नजराना के भूखण्डों के नियमीतिकरण के संबध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से रोहिणी नगर–द्वितीय में भूखण्ड संख्या ए–104, ए–827, ए–831, ए–330, बी–810, ए–442, बी–1018, बी–947, बी–72 को नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन–11	
4	125.4	जयपुर विकास प्राधिकरण की योजना वैशाली नगर के भूखण्ड संख्या एफ–19, क्षेत्रफल 311.11 वर्ग गज का भू–उपयोग रूपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने के संबंध में। (श्री रामबाबू गुप्ता)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से वैशाली नगर के भूखण्ड संख्या एफ–19, क्षेत्रफल 311.11 वर्ग गज का भू–उपयोग रूपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने का निर्णय लिया गया, धारा 25(3) की अधिसूचना दिनांक 22.10.2007 से पूर्व प्रकाशित हो चुकी है। भूखण्ड पर किये हुये निर्माण के सैटबैक वाईलेशन को ध्वस्त करने की साईट रिपोर्ट प्राप्त होने पर धारा 25(1) की अधिसूचना जारी की जावे। आवेदित भूखण्ड पर पैरामीटर योजनानुसार देय होगें।	उपायुक्त जोन–7	
5	125.5	जविप्रा क्षेत्र में स्थित न्यू पिंकसिटी गृह निर्माण सहकारी समिति की जविप्रा से अनुमोदित व कैम्पशुदा गीजगढ विहार योजना के 100' चौडी सडक पर स्थित भूखण्ड संख्या 1 क्षेत्रफल 497.62 वर्ग गज का भू–उपयोग आवासीय से व्यावसायिक किये जाने बाबत्। (आसुतोष बंसल)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से न्यू पिंकसिटी गृह निर्माण सहकारी समिति की जविप्रा से अनुमोदित व कैम्पशुदा गीजगढ विहार योजना के 100' चौडी सडक पर स्थित भूखण्ड संख्या 1 क्षेत्रफल 497.62 वर्ग गज का भू–उपयोग आवासीय से व्यावसायिक किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन–5	
6	125.6	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित छत्रपति शिवाजी गृ.नि.स.स. की योजना रामनाथपूरी के भूखण्ड सं. 101 क्षेत्रफल 505.5 व.ग. का भू–उपयोग उपान्तरण आवासीय से वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प के साथ अन्य संबंधित गतिविधियों) हेतु भू–उपयोग उपान्तरण करने एवं भूखण्ड सं. 102 क्षेत्रफल 505.5 व.ग. एवं पूर्व में व्यावसायिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूखण्ड सं. 103 क्षेत्रफल 472.47 व.ग. का पुनर्गठन किये जाने के संबंध में। (श्री मोहन लाल)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण स्थगित किया गया। भूखण्ड सं. 103 जिसका पूर्व में व्यावसायिक उपयोग बदला जा चुका है में पेट्रोल पम्प संचालित है तथा प्रार्थी भूखण्ड सं. 101 व 102 का व्यावसायिक उपान्तरण चाहता है जो 30' सडक पर स्थित है। इस प्रकार 30' सडक पर व्यावसायिक उपान्तरण सम्भव नही है।	उपायुक्त जोन–6	
7	125.7	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम रामनगरिया तहसील सांगानेर के खसरा नं. 101/1 क्षेत्रफल 026 हैक्टयर अर्थात 2600 वर्ग मीटर भूमि जिसकी लीजडीड दिनांक 07.11.07 को जारी की जा चुकी है से वाणिज्यिक किये जाने के संबध में। (जितेन्द्र कौर)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम रामनगरिया तहसील सांगानेर के खसरा नं. 101/1 क्षेत्रफल 026 हैक्टयर अर्थात 2600 वर्ग मीटर भूमि जिसकी लीजडीड दिनांक 07.11.07 को जारी की जा चुकी है से वाणिज्यिक किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावें।	उपायुक्त जोन–9	
8	125.8	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम हरध्यानपुरा तहसील बस्सी के खसरा नं. 6, 7 व 14 कुल किता 3 कुल रकबा 58 बीघा 2 बिस्वा अर्थात 175752.5 वर्गगज भूमि का भू–उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबध में। (जगदम्बा अग्रवाल)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के परिप्रेक्ष्य में स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन–12	

	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सु...	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
9	125.9	जविप्रा क्षेत्र मे स्थित ग्राम भम्भोरिया तहसील सांगानेर के ख.नं. 493, 494, 495, 496, 515, 516, 269, 270, 497, 499, 514, 498, 500, 504, 505, 506, 507, 509, 510, 511, 513, 520, 521, 522, 523 किता 25 रकबा 8.51 है0 में से सडक में निहित होने वाली 5901.00 व.मी. भूमि निःशुल्क छोडने के पश्चात शेष 79199.00 व.मी. भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) एवं खसरा नं. 501, 502, 503 किता 3 रकबा 1.10 है0 में से 1764.00 व.मी. सडक में छोडने के पश्चात् शेष 9236.00 वर्ग मीटर भूमि का भू–उपयोग ग्रामीण क्षेत्र से व्यावसायिक उपान्तरण किये जाने के संबंध में। (मै0 सेटिसफैक्शन हो प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के परिपेक्ष्य में स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन–11	
10	125.10	जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा शामिल किये 247 गावो का मास्टर विकास योजना–2011 में भू–प्रयोग ग्रामीण क्षेत्र निर्धारण हेतु जविप्रा अधिनियम की धारा 25(2) के तहत स्वीकृति बाबत्।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा शामिल किये 247 गावो का मास्टर विकास योजना–2011 में भू–प्रयोग ग्रामीण क्षेत्र निर्धारण हेतु कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	निदेशक (आयोजना)	
अन्य मुद्दे आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTRY AGENDA)					
11	125.11	पत्रकार कालोनी ग्राम धौलाई में व्यावसायिक भूखण्ड सं. सी–2 में नीलामी से क्रय किया गया की राशि देरी से जमा कराने के कारण नियमितिकरण बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से पत्रकार कालोनी ग्राम धौलाई में व्यावसायिक भूखण्ड सं. सी–2 में नीलामी से क्रय किया गया की राशि देरी से जमा कराने के कारण नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में राशि दो वर्ष की देरी से जमा होने के कारण राज्य सरकार से सक्षम स्वीकृति प्राप्त की जावे एवं आवंटी से ब्याज पैनल्टी की राशि नियमानुसार ली जावे।'	अति. निदेशक राजस्व एवं सम्पति निस्तारण	
12	125.12	विधिक सहायक के पद पर पदोन्नति के संबंध मे प्रावधान में संशोधन बाबत्।	विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण में निदेशक (विधि) व निदेशक (वित्त) से परीक्षण कराकर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें।	अति आयुक्त (प्रशासन)	
13	125.13	कनिष्ठ सहायक के 23 पदो को सीधी भर्ती कोटा से पदोन्नति कोटा में स्थानान्तरित करने की स्वीकृति बाबत्।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण में कार्यकारी समिति की 112 वीं बैठक दिनांक 14.12.07 के एजेण्डा आईटम 112.4 में लिये गये निर्णयानुसार तदर्थ रूप से पदोन्नत 22 कनिष्ठ सहायकों को दिनांक 27.2.08 के पश्चात पदोन्नति की शर्तो को पूर्ण करने एवं एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के कारण नियमित रूप से पदोन्नत किये जाने का निर्णय लिया गया।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	
14	125.14	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम नृसिंहपुरा उर्फ रिक्शा तहसील सांगानेर के ख.नं. 698/592, 609 किता 2 रकबा 0.29 है0 भूमि का भू–उपयोग उपान्तरण आवासीय/मिश्रित से वाणिज्यिक किये जाने के संबंध में। (श्री सत्यनारायण मीणा)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम नृसिंहपुरा उर्फ रिक्शा तहसील सांगानेर के ख.नं. 698/592, 609 किता 2 रकबा 0.29 है0 भूमि का भू–उपयोग उपान्तरण आवासीय/मिश्रित से वाणिज्यिक किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन–9	

सचिव,
जविप्रा, जयपुर।